छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 510 /संविसं/बैंक/2014 नया रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर, 2014

प्रति

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
....विभाग
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– राज्य शासन के अधीन निगमों/निकायों/मण्डलों के अतिरिक्त राशि को वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने बाबत्।

संदर्भः– संचालनालय संस्थागत वित्त का पत्र क्रमांक /433/संविसं /बैंक/2014 दिनांक 05.08.2014

कृपया संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। हर वर्ष राज्य शासन के अधीन निगमो निगमों/निकायों/मण्डलों के अतिरिक्त राशि जमा करने हेतु पात्र बैंकों की सूची जारी की जाती है (इसका अन्य बैंकिंग कार्य जैसे– चालू खाता/बचत खाता/संधारण, ड्राफ्ट इत्यादि जारी कराने पर कोई प्रभाव नहीं होगा एवं वे यथावत् जारी रखे जा सकते हैं)। इन बैकों का चयन निर्धारित मापदंड अनुसार Score Card के संदर्भ मे प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में चयनित बैंकों की सूची संलग्न है।

2. इस संदर्भ में वित्त विभाग को ज्ञात हुआ है कि कुछ विभागो द्वारा अतिरिक्त राशि उन बैंकों में रखी जा रही है जो अनुसूचित बैंकों की सूची में नही. है। उदाहरणतः व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापमं) के कुछ फिक्स्ड डिपोजिट इंडसंइड बैंक (IndusInd Bank) मे है जो कि वर्ष 2014–15 की अनुसूचित बैंकों की सूची में नही है, अतः विभागो से पुनः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ निगमों/निकायों/मण्डलों को निर्देशित करने का कष्ट करें की वे अतिरिक्त राशि को वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये शासकीय जमा हेतु जारी की गई पात्र बैंकों में ही जमा कराये तथा यह सुनिश्चित करें कि उक्त अतिरिक्त राशि अपात्र बैंकों में जमा नही हैं।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(डी.एस. मिश्र)
अपर मुख्य सचिव
छ.ग. शासन, वित्त विभाग